# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी का नामः–नथमल डिडेल, आई.ए.एस.**

**प्रार्थना पत्र संख्याः–46 / 2022 (14 सिक्योरिटाइजेशन)**

बैंक ऑफ बड़ौदा जी. एन. रोड़ शाखा हनुमानगढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी / मुख्य प्रबन्धक, शाखा हनुमानगढ़ टाउन।

**––प्रार्थी**

**बनाम**

1. मैसर्स थार एग्रो प्रोडक्ट
   पता–जी1–108, रीको औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ जंक्शन–335512।

**––अप्रार्थीगण / ऋणी**

2. श्रीमती उषा रानी बंसल पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार बंसल
   पता–जी1–108, रीको औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ जंक्शन–335512।

**––प्रोपराईटर**

3. श्री देवेन्द्र कुमार बंसल पुत्र श्री देशराम बंसल
   पता–मकान नं. 21 सेक्टर नं. 09 ब्रम्हकुमारी आश्रम मार्ग के पास हनुमानगढ़ जंक्शन।
4. श्री पुरूषोत्तम दास बंसल पुत्र श्री धन्ना राम
   पता–दुकान नं. 241–ए, न्यू धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन।

**––जमानतदार**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

**आदेश** **दिनांकः–14.07.2022**

प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा जी. एन. रोड़ शाखा हनुमानगढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी / मुख्य प्रबन्धक, शाखा हनुमानगढ़ टाउन की ओर से श्री समीर यादव बैंक प्रतिनिधि व अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता मनीष सोनी उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी सं. 01 जो कि ऋणी है, अप्रार्थी सं. 02 जो कि प्रोपराईटर है एवं अप्रार्थी सं. 03 व 04 जो कि जमानतदार है, को कुल रूपये 31.00 लाख (रू. 30 लाख + रू. 1 लाख) की ऋण सुविधा दिनांक 20.07.2017 एवं 29.06.2021 को उपलब्ध करवाई थी। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण सुविधा की एवज में अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. जी–108, औद्योगिक क्षेत्र फेज–2, हनुमानगढ़ जंक्शन पर स्थित है जिसकी 10760.00 वर्गफीट है, जो कि श्रीमती उषा रानी बंसल पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार बंसल के नाम से है, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में हित साम्यिक बंधक किया।

ऋणी द्वारा प्रार्थी की बकाया रकम एवं ब्याज की राशि समय पर अदा नहीं किये जाने पर प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी के ऋण खाता को नियमानुसार दिनांक 23.02.2022 को गैर–निष्पादनीय

Web Copy Not Official

आस्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया व अप्रार्थीगण के ऋण खाते में रूपये 31,99,817.65 दिनांक 24.02.2022 को बकाया एवं दिनांक 31.01.2022 तक ब्याज शामिल करते हुए एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 25.02.2022 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 31,99,817.65 दिनांक 24.02.2022 को बकाया एवं दिनांक 31.01.2022 तक ब्याज शामिल करते हुए एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा करने की मांग की गई। प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी ऋणी द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

ऋणी द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष सोनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 11.07.2022 पेश कर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 25.02.2022 के जवाब/ज्ञापन अधिनियम के रूप में धारा 13(3–ए) के तहत अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 11.04.2022 को प्रस्तुत ज्ञापन प्रार्थना पत्र का जवाब बैंक द्वारा अधिनियम में निर्धारित समय दिवस में नहीं देने के सम्बन्ध में पेश किया जिसका जवाब बैंक प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 14.07.2022 को पेश किया गया।

बैंक ऑफ बड़ौदा जी. एन. रोड़ शाखा हनुमानगढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, शाखा हनुमानगढ़ टाउन के प्रतिनिधि के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.07.2022 में प्रार्थी बैंक के विरूद्ध उठायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इसके लिए अप्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में प्रार्थी बैंक के विरूद्ध जाने हेतु स्वतंत्र है। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. जी–108, औद्योगिक क्षेत्र फेज–2, हनुमानगढ़ जंक्शन पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 10760.00 वर्गफीट है, जो कि श्रीमती उषा रानी बंसल पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार बंसल के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 14.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़